फैक्स नं०: 26163085
Fax No. : 26163085

कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार,
पश्चिमी खण्ड–7, रामाकृष्णापुरम,
नई दिल्ली–110 066
Office of the Development Commissioner (Handicrafts)
MINISTRY OF TEXTILES, GOVERNMENT OF INDIA.
West Block-7, R. K. Puram,
New Delhi-110 066

सत्यमेव जयते

डी–26016/6/2016–सामान्य/

दिनांक : 3.2..2016

प्रति

सूची संलग्न
____
____
____

महोदय,

इस कार्यालय में समय समय पर आवश्यकता के आधार पर टैक्सी की सुविधा के लिए एक वर्ष का अनुबंध किया जाना है । अतः अनुरोध है कि इस कार्यालय में किराये पर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संलग्न विवरण एवं नियम एवं शर्तो के अनुसार अपनी दरें सील बंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी के नाम, जिसके ऊपर स्पष्ट अक्षरों में **''टैक्सी के किराये हेतु दरें''** लिखा हो डाक अथवा व्यक्तिगत रुप से उक्त पते पर दिनांक 24–02–2016 को दोपहर 12.00 बजे तक भिजवाने की कृपा करें। निविदा इसी दिन सायं 2.30 बजे खोली जाएगी । अनुबंध हेतु नियम एवं शर्तें संलग्न है। निविदा कार्यालय की वैबसाइट handicrafts.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

भवदीय

(दीप्तांशु हलदर)
वरिष्ठ सहायक निदेशक, सामान्य

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय
सामान्य अनुभाग

टैक्सी के वार्षिक अनुबन्ध हेतु नियम एवं शर्ते

1. एजेन्सी पंजीकृत हो तथा कोटेशन के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाए ।
2. एजेन्सी द्वारा जमा कराए गए टैक्स एवं पैन नं0 संबंधी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाए ।
3. निर्धारित तिथि के बाद अथवा समप्रतिबंध एवं अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षों में सरकारी विभागों में किए गए अनुबंध का विवरण संलग्न करें।
5. अनुबंध की अवधि में फर्म कार्य करने के लिए बाध्य होगी।
6. टेलीफोन पर टैक्सी के लिए आदेश देने पर टैक्सी 30 मिनट के अन्दर उपलब्ध करानी होगी
7. वर्ष 2010 के बाद वाले मॉडल की गाड़ियों को ही सेवा के लिए स्वीकार किया जाएगा।
8. उपलब्ध कराई जाने वाली गाड़ियां साफ–सुथरी, आरामदेह होनी चाहिए।
9. गाड़ी का चालक कुशल सभ्य एवं वर्दी में होना चाहिए तथा चालक को दिल्ली के रास्तों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ।
10. यात्रा शुरु तथा समाप्ति के बाद ड्यूटी स्लिप में मीटर रीडिंग की प्रविष्टि तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उस यात्रा के बिल के भुगतान की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी।
11. चलाई गई गाड़ी के कुल कि.मी. की जानकारी यात्रा समाप्त होने के तुरन्त बाद अथवा अगले दिन फोन पर सम्बन्धित अधिकारी को अवश्य दे दी जानी चाहिए ।
12. कोटेशन्स के साथ 5000/–रु0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर लेखा अधिकारी (मुख्यालय) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के नाम भेजना आवश्यक होगा।
13. जिस एजेन्सी की दरें स्वीकृत की जाएंगी उसे 5 दिन के अन्दर लेखा अधिकारी (मुख्यालय) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के नाम परफारमेंस सिक्योरिटी हेतु 10,000/–रुपये की बैंक गारण्टी/डीडी/ एफडीआर कार्यालय में जमा कराना होगा।
14. भेजी जाने वाली गाड़ी यदि आरामदेह न पाई गई अथवा तकनीकी खराबी हुई तो उसके बदले में तत्काल दूसरी गाड़ी उपलब्ध करानी होगी।
15. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद्द करने तथा निविदा के नियम एवं शर्तो में किसी भी नियम/शर्त को रद्द करने अथवा संशोधन करने का अधिकार विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
16. संतोषजनक सेवा न देने अथवा नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा ।
17. भुगतान करते समय बिल से टी डी एस काटकर भुगतान किया जाएगा।
18. किसी विवाद के लिए मामले का दिल्ली न्यायालय में निपटान किया जाए।

टैक्सी के लिए दरें

टैक्सी के लिए पैकेज	घन्टे	किमी	नॉन एसी एम्बेसडर इण्डिका सैन्टरों	ए/सी एम्बेसडर इण्डिका सैन्टरों	एस्टीम/डिजायर/इण्डिगो	इनोवा
फुल डे	8	80				
हाफ डे	4	40				
अतिरिक्त किमी की दर	—	1				
अतिरिक्त घंटे की दर	1	—				
दिल्ली से बाहर की दरें	8	200				
हाल्ट की दर	—	—				